लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
028/2022 (GCMS 2022/148)	08.06.2022	05.07.2022

अनवान

राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़ चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 04.05.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./028/2022(सू.अ.)(29.06.2022)/462 दिनांक 08.06.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.06.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 29.06.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 29.06.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/779 दिनांक 21.06.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि प्रार्थी राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दीरोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 04.05.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/लोसूअ/2022/214 दिनांक 06.05.2022 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को लिखा गया, जिस पर प्रत्त्युत्तर में पत्रांक/राजस्व/मूल/203 दिनांक 05.06.2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 10.06.2022 को प्राप्त हुआ, से अवगत कराया गया हैं कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थना पत्र में सुस्पष्ट उल्लेख न होने से सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। (पत्र की प्रति संलग्न हैं।)
3. यह कि वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/214 दिनांक 10.06.2022 से प्रार्थी को अवगत कराया गया हैं, जिस पर कोई जवाब अब तक अप्राप्त हैं।(पत्र की प्रति संलग्न हैं।)
4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना के संबंध में अवगत करा दिये जाने से वर्तमान में इस पर कोई कार्यवाही इस कार्यालय स्तर पर अपेक्षित नहीं रहती हैं। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/779 दिनांक 21.06.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेण्ट्स के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस हेतु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/214 दिनांक 10.06.2022 से प्रार्थी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं। परन्तु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेण्ट्स एवं उसके सलंग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह तथ्य उजागर हुआ है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को पत्र लिखा गया परन्तु उपरोक्त पत्र पर एक माह की समयावधि में कोई कार्यवाही नहीं होने पर भी अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं की गई। अपितु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.06.2022 को अपील दर्ज कराने के पश्चात् दिनांक 10.06.2022 को अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/214 द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी के आवेदन को निस्तारित करने हेतु उचित कार्यवाही नहीं की गई हैं। जो कि सर्वथा अनुचित प्रतीत होता हैं।

इसके साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/214 दिनांक 29.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण दिनांक 27.06.2022 को कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को भी प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना विधिवत नियमानुसार तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से यथाशीघ्र प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.07.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-sd-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
05.07.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official